कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा

पत्रांक :182 / सम्पत्ति लि0 / 2015–2016 दिनांक : 10 अगस्त, 2015

वृक्षों एवं खाली ड्रमो की सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण / लकड़ी का कार्य करने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, गोण्डा के स्वामित्वाधीन कार्यालय परिसर के पूर्वी छोर अम्बेडकर चौराहे से जेल रोड के समानान्तर प्रधान डाकघर तक गाटा संख्या–270 / 3 मे बाउण्ड्रीवाल से 07 मीटर गहराई की भूमि पर विभिन्न प्रकार के 25 वृक्षों जिनकी सूची कार्यालय जिला पंचायत में देखी जा सकती है, की एक साथ तथा कार्यालय के स्टोर मे रखे 300 अदद खाली मैक्सफाल्ट ड्रमों की नीलामी गठित नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 19.08.2015 को समय पूर्वान्ह् 11:00 बजे से 1:00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय पर खुली नीलाम बोली कराई जायेगी। प्रत्येक बोलीदाता / ठेकेदार को बोली से पूर्व मु0 50,000.00 वृक्षो की नीलामी एवं खाली मैक्सफाल्ट ड्रमों की नीलामी हेतु मु0 20,000.00 जमानत धनराशि के रूप में नकद जमा करनी होगी, जिसमें यथा आवश्यकता वृद्वि की जा सकती है। उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के पश्चात् तत्काल जमा करनी होगी। इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार नीलाम बोली में भाग ले सकते है नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्ते किसी भी दिवस में कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा व जनपद गोण्डा की वेबसाइट www.gonda.nic.in में पढ़ी व देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत गोण्डा।

पृ0सं0– / सम्पत्ति लि0 / 2015–2016 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत गोण्डा।
2. जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वनप्रभाग, गोण्डा।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, गोण्डा।
6. समस्त राजस्व निरीक्षक / कर समाहर्ता, जिला पंचायत गोण्डा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. कार्यालय जिला पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत गोण्डा।

नौकाघाट नीलाम सूचना वर्ष – 2015–2016

जिला पंचायत गोण्डा के प्रबन्धाधीन निम्न 05 नौकाघाटों की वर्ष 2015–2016 (दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक) की अवधि के लिए पट्टे पर दिये जाने/नीलाम किये जाने हेतु मल्लाहों की पंजीकृत सहकारी समितियों से आफर/प्रस्ताव दिनांक 24.08.2015 दिन बृहस्पतिवार को सायं 3.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा में आमंत्रित किये जाते हैं। आफर/प्रस्ताव के साथ समितियों का निबन्धन प्रमाण–पत्र, सदस्य सूची, जाति प्रमाण–पत्र, समिति की आर्थिक स्थिति आडिट रिपोर्ट, बैलेन्स षीट आदि प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन नौकाघाटों के लिए केवल 01 समिति का आफर/प्रस्ताव प्राप्त होगा, उनकी धनराषि नियमानुसार दिनांक 25.08.2015 को जमा कराई जायेगी। किसी नौकाघाट के लिए एक से अधिक आफर/प्रस्ताव प्राप्त होने पर मल्लाहों की पंजीकृत सहकारी समितियों के मध्य दिनांक 26.08.2015 को समय पूर्वान्ह् 11.00 बजे से 3.00 बजे अपरान्ह् तक कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा में नीलामी कराई जायेगी। उक्त तिथि को नीलामी हेतु अवषेश नौकाघाटों की सार्वजनिक रूप से मल्लाहों के मध्य नीलामी दिनांक 27.08.2015 को कार्यालय जिला पंचायत में समय पूर्वान्ह् 11.00 बजे से 3.00 बजे तक कराई जायेगी। नीलामी हेतु अवषेश रहने की दषा में नौकाघाटों को दिनांक 28.08.2015 को पुनः सार्वजनिक नीलामी कार्यालय जिला पंचायत में समय पूर्वान्ह् 11.00 बजे से 3.00 बजे तक कराई जायेगी। नीलामी में भाग लेने से पूर्व मल्लाहों/व्यक्तियों को रू0 2000.00 प्रति नौकाघाट जमानत राषि नीलाम समिति के समक्ष जमा करनी होगी, जो यथा आवश्यकता बढ़ाई भी जा सकती हैं। नीलामी सूचना व शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत में नोटिस बोर्ड पर देखी व पढ़ी जा सकती है तथा जनपद–गोण्डा की वेबसाइट www.gonda.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

1. सिहोर　　2. ढेमवा　　3. दुबहा　　4. नरायनपुर मांझा　　5. डेलुवा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गोण्डा।

अध्यक्ष
जिला पंचायत गोण्डा।

कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा

पत्रांक : 43 /नौकाघाट लि0/2015–2016　　　　दिनांक : 11 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–गोण्डा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गोण्डा।
8. समस्त राजस्व निरीक्षक/कर समाहर्ता जिला पंचायत गोण्डा को इस निर्देष के साथ कि स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करायें तथा नीलामी तिथि से पूर्व कार्यालय में सूचित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस आषय से कि कृपया उक्त सूचना जनपद–गोण्डा की वेबसाइट पर विज्ञापित कराने का कष्ट करें।
10. कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा।

मत्स्य आखेट नीलाम सूचना वर्ष – 2015–2016

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा स्वीकृत/प्रचलित उपविधियां/समय–समय पर निर्गत शासनादेश/निर्देशों के क्रम में जनपद–गोण्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से बहने वाली नदियों/झीलों में वर्ष 2015–2016 (दिनांक 01.09.2015 से 15.06.2016 तक) की अवधि के मत्स्य आखेट का ठेका/नीलामी हेतु पात्र/क्रियाषील पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए दिनांक 20.08.2015 तक कार्यालय जिला पंचायत में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 22.08.2015 को निस्तारण कर नियमानुसार ठेके की धनराषि जमा कराई जायेगी। जिन क्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों विद्यमान नही है उन क्षेत्र का ठेका इच्छुक व्यक्तियों के मध्य दिनांक 27.08.2015 को कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा में 11.00 बजे पूर्वान्ह् से नीलामी सार्वजनिक बोली द्वारा कराई जायेगी। उपरोक्त तिथियों में अवषेश नीलामी आगामी सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को 11.00 बजे पूर्वान्ह् से कार्यालय जिला पंचायत में कराई जायेगी। उच्चतम् नीलामी बोली की सम्पूर्ण धनराषि मौके पर जमा करनी होगी। नीलामी सूचना व षर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत में नोटिस बोर्ड पर देखी व पढ़ी जा सकती है तथा जनपद–गोण्डा की वेबसाइट www.gonda.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गोण्डा।

अध्यक्ष
जिला पंचायत गोण्डा।

कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा

पत्रांक : 82/म0आ0लि0/2015–2016 दिनांक : 10 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–गोण्डा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गोण्डा।
8. समस्त राजस्व निरीक्षक/कर समाहर्ता जिला पंचायत गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करायें तथा नीलामी तिथि से पूर्व कार्यालय में सूचित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस आशय से कि कृपया उक्त सूचना जनपद–गोण्डा की वेबसाइट पर विज्ञापित कराने का कष्ट करें।
10. कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा।

कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा के कार्यालय परिसर के पूर्वी छोर अम्बेडकर चौराहे से जेलरोड के समानान्तर प्रधान डाकघर तक बाउन्ड्रीवाल के अन्दर 7मी0 गहराई तक लगे वृक्षों एवं खाली मैक्सफाल्ट के ड्रमों की नीलामी की शर्तें

1 प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व नीलाम समिति के समक्ष वृक्षो की नीलामी हेतु तथा मु0 50,000.00 रूपया तथा खाली ड्रमों की नीलामी हेतु मु0 20,000.00 (मु0 बीस हजार मात्र) जमानत धनराशि के रूप में नकद जमा करना अनिवार्य होगा।

2 उच्चतम बोलीदाता की जमानत धनराशि उसकी बोली में समायोजित कर शेष बोलीदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

3 उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल मौके पर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा जमानत धनराशि जब्त कर द्वितीय बोलीदाता की बोली पर विचार किया जायेगा।

4 वृक्षों की नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा वन विभाग गोण्डा से स्वयं के व्यय पर कटान एवं उठान का परमिट प्राप्त करना होगा तथा अधिकतम एक सप्ताह में वृक्षों का कटान एवं उठान करना अनिवार्य होगा।

5 व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा वृक्षों की कटान एवं उठान के समय जिला पंचायत की बाउन्ड्रीवाल आदि को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।

6 जिला पंचायत के स्टोर मे रखे मैक्सफाल्ट के खाली ड्रमों को उच्चतम बोलीदाता/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर उठाना होगा।

अभियन्ता	**अपर मुख्य अधिकारी**	**अध्यक्ष**
जिला पंचायत गोण्डा	**जिला पंचायत गोण्डा**	**जिला पंचायत गोण्डा।**

जिला पंचायत, गोण्डा

मत्स्य आखेट ठेका वर्ष – 2015–2016

नीलामी शर्तें

1. पंजीकृत सहकारी समितियों को आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण–पत्र, बाइलाज, कार्यक्षेत्र अभिलेख आदि की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. जिस कार्यक्षेत्र का नीलामी/ठेका समिति द्वारा नहीं लिया जायेगा उस क्षेत्र का ठेका सार्वजनिक रूप से पेशेवर व्यक्तियों (कहांर, गोड़िया इत्यादि) के मध्य नीलाम बोली द्वारा कराया जायेगा।

3. नीलाम बोली में भाग लेने वाले नीलामी बोली बोलने वाले व्यक्तियों को मु0 10,000.00 नकद जमानत धनराशि बोली के पूर्व नीलाम समिति के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा। नीलाम समिति द्वारा यथास्थिति जमानत धनराशि बढ़ाई भी जा सकती है, जो प्रत्येक बोलीदाता को मान्य होगी।

4. स्वीकृत नीलामी/ठेका धनराशि पर निर्धारित स्टाम्प पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध पत्र अध्यक्ष जि0पं0 के मध्य निष्पादित करना होगा।

5. समिति के कार्यक्षेत्र विवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक का निर्णय मान्य होगा।

6. उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करनी होगी।

7. नीलामी/ठेका की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् ही ठेका/नीलामी की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

8. नीलामी/ठेका को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, गोण्डा में निहित होगा।

9. नीलाम शर्तों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, गोण्डा में निहित होगा।

10. ठेकेदार को उपविधि, शासनादेश मा0 न्यायालय, एवं समय समय पर जिला पंचायत द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

11. ठेके की अवधि दिनांक 01.09.2015 से 15.06.2016 तक की होगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गोण्डा।

कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा।

नौकाघाट का नाम :–

1–सिहोर 2–ढ़ेमवा 3–डेलुआ 4–दुबहा 5–नरायनपुर मांझा।

नीलामी की शर्ते

1– नौकाघाट के पट्टे/ठेके की नीलामी हेतु किसी नौकाघाट के लिये केवल एक पंजीकृत सहकारी समिति का आफर/प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि व समय पर शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित धनराशि समिति के सचिव/अध्यक्ष से जमा करायी जायेगी। किसी एक घाट के लिये एक से अधिक समितियों क आफर/प्रस्ताव प्राप्त होने पर समितियों के मध्य बोली करायी जायेंगी। समिति के अध्यक्ष/सचिव को आफर/प्रस्ताव के साथ निबन्धन प्रमाण–पत्र सदस्य सूची जाति प्रमाण–पत्र समिति की आर्थिक स्थिति आडिट रिपोर्ट बैलेन्शीट आदि की स्वःप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन घाटों हेतु किसी समिति का आफर/प्रस्ताव प्राप्त नहीं होगा उनकी नीलामी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक रूप से मल्लाह जाति/समुदाय के मध्य करायी जायेंगी। मल्लाह वर्ग का तात्पर्य केवट कहार गोड़िया निषाद धुरिया तथा धीमार जातियों से है। इन जातियों के व्यक्तियों को मल्लाह होने का प्रमाण–पत्र सम्बन्धि तहसीलदार से प्राप्त कर नीलामी से पूर्व नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही चरित्र प्रमाण–पत्र कम से कम क्रमशः क्षेत्राधिकारी व तहसीलदार के स्तर का हो, नीलामी के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– घाट की नीलामी दिनांक 30.09.2016 तक की अवधि के लिये की जायेंगी।

3– नौकाघाट की नीलामी बोली बिगत तीन वर्षो की औसत आय पर 15 प्रतिशत की वृद्वि के उपरान्त प्राप्त धनराशि से अधिक धन की ही ली जायेंगी।

4– नीलामी बोली के समाप्त होने पर अधिकतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

5– किसी भी समिति या बोलीदाता को जिसने पूर्व में हुई किसी नीलामी का धन जमा न किया अथवा पट्टा/इकरारनामा न कराया हो व जिला पंचायत का बकायेदार हो इस नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होंगा।

6– प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली प्रारम्भ होने के पूर्व रू0 2,000.00 जमानत के तौर पर नीलाम समिति के समक्ष जमा करना होगा। जिस समिति अथवा व्यक्ति की बोली अंतिम होगी उसकी जमानत की धनराशि बोली में समायोजित कर ली जायेंगी। नीलाम समिति को जमानत की धनराशि बढ़ाने का अधिकार होगा, जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।

7– यदि उच्चतम् बोलीदाता द्वारा नीलाम बोली की समाप्ति पर बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करते हुये पुनः नीलामी बोली करायी जायेंगी। पुनः नीलामी बोली में यदि पूर्व उच्चतम् बोली से कम धनराशि प्राप्त होती है तो पूर्व एवं पुनः नीलाम बोली में प्राप्त धनराशि के अन्तर की धनराशि की वसूली पूर्व उच्चतम् बोलीदाता से की जायेंगी।

8– नीलाम व ठेके की स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, देवीपाटन मण्डल गोण्डा से निहित होगा। नीलामी/ठेका स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर बोलीदाता को इकरारनामा लिखने एवं पट्टा की औपचारिकाताओं की पूर्ति कराना अनिवार्य होंगा।

9– समिति/बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा/पट्टानामा की पूर्ति करने के पश्चात नौकाघाट के संचालन की अनुमति दी जायेंगी।

10– सर्यास्त के उपरान्त तथा सूर्योदय के पूर्व नौकायन प्रतिबंधित रहेगा।

11– ठेकेदार को जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत तथा जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा घाट के निरीक्षण के समय वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12– ठेकेदार को घाट के दोनों किनारों पर यात्रियों के उतरने व करीब पहुंचने के मुकम्मल इंतजामात रखने होगों।

13– ठेकेदारों को जिला पंचायत द्वारा निर्धारित संख्या में नौकाओं तथा स्थिति के विवरण सहित मल्लाहों के नाम व पता की सूची घाट का चार्ज लेने के ही समय उपलब्ध कराना होगा।

14– ठेकेदार को एक निरीक्षण रजिस्टर शिकायत रजिस्टर मौके पर रखना होगा तथा उतराई शुल्क का रेट बोर्ड घाट के दोनों किनारों पर लगाना भी अनिवार्य होगा और ठेकेदार द्वारा यात्री को निर्धारित शुल्क की रसीद दी जायेंगी।

15– ठेकेदार का नौकाए अच्छी व संतोषजनक स्थिति में रखनी होगी और प्रत्येक नौका में उनकी भार क्षमता के अनुसार सूखे तथा बरसात के दिनों में अलग–अलग यात्रियों की कुल संख्या माल लादने व वनज का विवरण सहित नौकाओं के बाहर तरफ दोनों चिन्हों की रेखाओं को सफेद व लाल पेन से हिन्दी भाषा में साफ–साफ बनवाना होगा। ड्राई सीजन में नौका ऊपर लाईन तथा वर्षा में निचली लाईन तक ही यात्रियों व माल लादने के उपरान्त पानी में डूबती रहेगी।

16– ठेकेदारों को नार्दन इण्डिया फेरीज एक्ट का पालन करना होगा। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि जिला पंचायत द्वारा मुद्रित घाट उतराई शुल्क वसूल करें अन्यथा नार्दन फेरीज एक्ट के प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेंगी।

17– यदि नौकाघाट पर नाव दुर्घटना से जानमाल की क्षति होती है तो ठेकेदार को दुर्घटना से माल या यात्रियों की क्षतिपूर्ति जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उसके निकट सम्बन्धी परिजनों को देना अनिवार्य होगा।

18– ठेकेदारों को ठेके की पूरी शर्तो की बोली बोलने से पहले कार्यालय से जानकारी कर लेनी चाहिए। बाद में कोई आपत्ति न सुनी जायेंगी। नीलामी के समय नीलाम समिति को अपरिहार्य कारणों से शर्तो में संशोधन करने का अधिकार होगा जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।

19– अन्य कोई जानकारी ठेकेदार करना चाहेंगा तो कार्यालय आकर प्राप्त कर सकता है। ठेकेदार को घाट के पट्टे अथवा ठेके को शिकमी तौर पर उठाने एवं हस्तान्तरित करने का अधिकार न होगा।

20– ठेकेदार/समिति को नीलामी के समय दी गयी उपरोक्त शर्तो व समय–समय पर जारी शासनादेशों में दिये निर्देशों के अनुसार घाट का संचालन करना होगा।

21– जिला पंचायत के अधिकारियों अथवा अधिकृत कर्मचारियों को किसी भी समय घाट उससे सम्बन्धित अभिलेखों के निरीक्षण करने का अधिकार होगा। कोई कमी पाये जाने पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होंगा।

22– ठेकेदार/समिति द्वारा सम्बन्धित घाट पर निर्धारित शुल्क की दर से वसूली न करने निर्देशों व नियमों का पालन न करने पर उसके विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी।

23– ठेकेदार द्वारा नदियों फेके/पाये जाने वाले लावारिस मानवं/पशु शवों का निस्तारण स्थानीय पुलिस विभाग का फोन नं0–100 पर जानकारी देकर उनसे प्राप्त निर्देशों के अनुसार कराया जायेंगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत गोण्डा।